FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Rudraprayag

No--- 26

Dated-07 0417

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.610 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Provincial Division P.W.D. Rudraprayag (name of user agency) for Construction of Sari-Vijrakot Motor Road under State Sector (purpose for diversion of forest land) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Vijrakot village (s) in Rudraprayag tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ... annexure

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Rajana I.A.S deputy commissioner Rudraprayag on date property at time 2.0.50 Pm. at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 2.610 hect for the Construction of Sari-Vijrakot Motor Road (3.00 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Rudraprayag

Dated: 07 17

जिला सविकारी अप्रयाव

Deputy Commissioner-cum-Chairman District Level Committe

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :— जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी—विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)

> वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम :- जिस्तर्गकार्वः तहसील रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद—रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी—विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु (2.610 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0000 हे0 सिविल सोयम भूमि, 1. 4625 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.6100 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत विषय से ग्राम पंचायत विषय में ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनयम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपहान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम — के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

आम प्रचास्त विकास अधिकारी

विवस्याम अविवासम्ब

जनपद - रुद्धायाम् नोट :--यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपन्न में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)

दिनांक पार्वा को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत (निक्साक)

क्रमाक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ	
	्यामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	गमवासियों के नाम	
a -	and a south the	
5-	HUT INE SI- Felo DILL TIL	H42140 E
4-	Held cel WI Friend	जोमिला के ही
	ACCI I INC. C.	कुन्ती हुनी
	o leid Collin	224/158
- -	51476151 Ca 11111	सावरा दवा
7 .	y along the so the the	रामेखारी किवी
9	the state of the	Smunx
D to	Dell IHE Shows Con	39316
11	क्लिवं मिंह हा कि क्रियम मिंह	3142/64
12 ?	ATT THE 810 SHOWING THE	FEMALINE
13 3	THE SID SHOW THE	BIS MED
14 0	Idea the side the	Moham
15 3	अन्य जील का उद्धम लील	Man
16 म	Win The S	
ITA	न्या मिट द्वारेय येर मिट	7
18 31	मपाले मिंह है। है। व्यक्ताम मिंह मपाले मिंह है। है। व्यक्ताम मिंह	Uns
19 1	मताल प्रिट श्रे कि इस्टास प्रद	Tulpal Smith
20 31	IGE HOUSEN HOLD THE	Thous
21 00	HOW THE SI THISE THE	midage & cuin
22 34	149 INS 81 - 34 IHE. 6	
OF	1 148 81- 34 IHE.	Bot

संलग्न है।



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- रूद्रप्रयाग अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यम्नि।

उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी०) (2.6100 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0000 हे0 सिविल सोयम भूमि, 1.4625 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.6100 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन्न अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रूद्रप्रयाग) की दिनांक 23-12-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम प्रवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री 2006 KA 1897 2006 पर जारा पर अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति क्री अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री चतर सिंह चौहान उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग अध्यक्ष
- 2- श्री अजय शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग, सदस्य

3- श्री हर्षवर्धन भट्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी कद्रप्रयाग, सदस्य/सचिव 4- श्रीकारी क्षेत्र सदस्य उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर भार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0)परियोजना हेतु. 2.610 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेत् प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार

पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति

जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सारी-विजराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्मोण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.000 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 2.610 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकासे / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति 20 G JUINI